

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022

प्रलिस के लिये:

USCIRF, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022

मेन्स के लिये:

भारत के हतियों पर देशों की नीतियों और राजनीतिका प्रभाव, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधति मुद्दे ।

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को दूसरे वर्ष अर्थात् 2021 में भी धार्मिक स्वतंत्रता का सर्वाधिक उल्लंघन करने के लिये 'कंट्रीज़ ऑफ परटिकुलर कंसर्न' (प्रमुख चिंता वाले देशों) की श्रेणी में सूचीबद्ध करने की सफारिश की गई है ।

- इससे पहले अमेरिकी वदिश वभिग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों पर एक सशक्त और आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की थी ।

USCIRF के बारे में:

- USCIRF एक स्वतंत्र, द्वदिलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है, जो वदिशों में धर्म या वशिवास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिये समर्पति है ।
- यह अमेरिकी प्रशासन के लिये एक सलाहकार नकिया है ।
- USCIRF's की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट वदिशों में धर्म या वशिवास की स्वतंत्रता के अमेरिकी सरकार के प्रचार को बढ़ाने के लिये सफारिशें प्रदान करती है ।
- इसका मुख्यालय वाशगिटन डीसी में है ।
- अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधनियम की नषिक्रयिता के बाद 1998 में अमेरिकी सरकार द्वारा स्थापति USCIRF की सफारिशें राज्य वभिग पर गैर-बाध्यकारी हैं ।
 - परंपरागत रूप से भारत USCIRF के दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता है ।

रिपोर्ट की वशिषताएँ:

- रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस देशों के दो समूहों पर है:
 - वशिष चिंता वाले देश (CPC):** यह अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधनियम, 1998 (IFRA) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर देशों को वशिष चिंता वाले देश (Countries of Particular Concern- CPC) में नामति करने के लिये अमेरिकी वदिश वभिग के सचवि को सफारिश करता है ।
 - वशिष नगिरानी सूची (SWL):** SWL में उन देशों को शामिल कया जाता है, जनि देशों की सरकारों द्वारा गंभीर रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कया जाता है या जनि पर ऐसा करने का आरोप है ।
- रिपोर्ट में वत्ततीय वशिषेण की अंतरराष्ट्रीय समीक्षा (IRFA) के तहत यूएस स्टेट डपिरटमेंट द्वारा हसिक गैर-राज्य अभकिरत्ताओं के लिये 'एंटीऑफ परटिकुलर कंसर्न' (EPC) के रूप में USCIRF की सफारिशें भी शामिल हैं ।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधति महत्त्वपूर्ण वैश्विक वकिस और प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जसिमें वे देश भी शामिल हैं जो CPC या SWL सफारिशों के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं ।
 - इनमें कोवडि-19 महामारी और धार्मिक स्वतंत्रता, ईश नदि तथा हेट सपीच कानून प्रवर्तन, अंतरराष्ट्रीय दमन, यूरोप में धार्मिक असहशिणुता, दक्षिण एशया में धार्मिक स्वतंत्रता की बगिड़ती स्थिति एवं धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताओं को बढ़ाने वाली राजनीतिक उथल-पुथल शामिल हैं ।

USCIRF की नवीनतम सफारिशें:

CPC सूची के लिये:

भारत के अलावा CPC के लिये अनुशंसित देश **अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और वयितनाम** हैं।

CPC के रूप में **म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान** को पुनः नामित करने की अनुशंसा की गई है।

■ विशेष नगिरानी सूची के लिये:

- अलजीरिया, क्यूबा और निकारागुआ को **वर्ष 2021** में इस सूची रखा गया।
- अन्य देशों में अज़रबैजान, सीएआर, मसिर, इंडोनेशिया, इराक, कज़ाखस्तान, मलेशिया, तुर्की और उज़्बेकस्तान शामिल हैं।

■ EPCs के लिये:

- अल-शाबाब, बोको हराम, हौथसि, हयात तहरीर अल-शाम (HTS), इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा (ISGS), इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविसि (ISWAP या ISIS-वेस्ट अफ्रीका) और जमात नसर अल-इस्लाम वाल मुस्लिमिनि (जेएनआईएम)।

भारत के बारे में चर्चाएँ:

- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सरकार ने **"महत्त्वपूर्ण आवाज़ों का दमन किया"**, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों और उन पर रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्तियों की।
 - इसमें कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुरान परवेज की गरिफ्तारी और जुलाई 2021 में ऑक्टोबेरियन फादर स्टेन स्वामी की मौत का उल्लेख है, जसि **गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 (यूपीए)** के तहत अक्टूबर 2020 में गरिफ्तार किया गया था।
- रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से विदेशी फंडिंग के बारे में भी बात की गई है।
- यह धर्मांतरण वरिधी कानूनों पर भी प्रकाश डालता है। अक्टूबर 2021 में कर्नाटक सरकार ने राज्य में चर्चों और पुजारियों के सर्वेक्षण का आदेश दिया तथा पुलिस को ईसाई धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को खोजने के लिये घर-घर नरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है।
 - **अनुच्छेद 25** (अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता)।
 - अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
 - अनुच्छेद 27 (किसी विशिष्ट धर्म की अभिविधा हेतु करों के संदाय को लेकर स्वतंत्रता)।
 - अनुच्छेद 28 (कुछ विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने को लेकर स्वतंत्रता)।
- इसके अलावा संविधान के **अनुच्छेद 29-30** में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान हैं।

स्रोत: द हिंदू